POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.01.2025

1.नोएडा सर्विलांस टीम, साइबर टीम, थाना फेस-1 व सेक्टर-20 पुलिस द्वारा सयुंक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेन्टर संचालित कर लोगो को लोन दिलाने व इंश्योरेन्स पॉलिसी एवं शेयर मार्किट में निवेश कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले 08 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 17 मोबाइल फोन, एक सीपीयू, 04 अभिलेखीय रजिस्टर, 21 एटीएम कार्ड, 05 वोटर आईडी कार्ड, 06 आधार कार्ड, 03 पेन कार्ड, 01 डी.एल, 01 जीएसटी सर्टिफिकेट, 01 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 01 रेन्ट एग्रीमेन्ट व कुल 2660 रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 11.01.2024 को नोएडा सर्विलांस टीम, साइबर टीम, थाना फेस-1 व सेक्टर-20 पुलिस टीम द्वारा सयुंक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेन्टर संचालित कर लोगो को लोन दिलाने व इंश्योरेन्स पॉलिसी एवं शेयर मार्किट में निवेश का झांसा देकर अवैध रूप से ठगी करने वाले गिरोह के अभियुक्तगण 1.गणेश ठाकुर पुत्र दिगम्बर ठाकुर 2.प्रभाष झा पुत्र महेन्द्र झा 3. मनीष कुमार झा पुत्र भोगेन्द्र झा 4.परवेज आलम पुत्र मोहम्मद जहीर 5.शुभम यादव पुत्र अतर सिंह यादव 6.ज्ञानेन्द्र पुत्र स्व0 ब्रिजेश कुमार गुप्ता 7.शबनम पुत्री शकील अहमद 8.अराधना पुत्री रामशंकर को थाना क्षेत्र के सेक्टर-2 में स्थित प्लाट नं0 ए-44 की बिल्डिंग में तृतीय तल पर स्थित ऑफिस VHA INVESTERS से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 17 मोबाइल फोन, एक सीपीयू, 04 अभिलेखीय रजिस्टर, 21 एटीएम कार्ड, 05 वोटर आईडी कार्ड, 06 आधार कार्ड, 03 पेन कार्ड, 01 डी.एल, 01 जीएसटी सर्टिफिकेट, 01 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 01 रेन्ट एग्रीमेन्ट व कुल 2660 रूपये बरामद हुए है। ये सब लोग मिलकर बिना किसी लाइसेन्स के फर्जी कॉल सेन्टर संचालित कर लोगो को लोन दिलाने व इंश्योरेन्स पॉलिसी एवं शेयर मार्किट में निवेश का झांसा देकर अवैध रूप से ठगी का कार्य करते है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ अभियुक्तगण विभिन्न माध्यमो जैसे जस्टडॉयल आदि से वेन्डर पता कर ऐसे लोगो का डाटा प्राप्त करते है जिन्हे लोन व इन्श्योरेन्स की आवश्यकता है। ये लोग विभिन्न बैंको का कर्मचारी बताते हुए अपने-अपने नाम बदलकर जैसे शबनम-पूजा शर्मा के नाम से, अराधना-रिंकी वर्मा के नाम से व गणेश-सुरेश के नाम से आदि इसी प्रकार कॉल करके तथा व्हाट्सएप पर मैसेज कर कस्टमर की आवश्यकता अनुसार प्रलोभन देकर उनका आसान शर्तो पर लोन, इन्श्योरेन्स करा दिये जाने

का विश्वास दिलाकर ऐवज में ऐसे जरूरत मंद लोगो से 10 से 15 प्रतिशत धनराशि पूर्व में ही ले लेते थे तथा बाद में उन्हे लोन भी उपलब्ध नही कराते थे तथा उनसे सम्पर्क बन्द कर दिया जाता था। कई बार ऐसे व्यक्तियो से विभिन्न कारण बताकर लोन कराने अथवा लैप्स इन्श्योरेन्स पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिये काफी मोटी रकम वसूली जाती थी। किसी का अधिक पैसा जमा करा लिये जाने पर उस व्यक्ति के द्वारा पैसा मांगने पर उन्हे बताया जाता है कि टैक्स, आरबीआई तथा IRDA ACT के प्रावधानो के तहत उन्हे सम्पूर्ण भुगतान के लिये फीस के तौर पर और पैसा जमा कराना है तथा कई बार उन्हे यह बताकर कि उनका पैसा कम्पनी द्वारा शेयर में लगाकर और अधिक मुनाफा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये भी लोगो को झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी कर सुनयोजित तरीके से षडयंत्र कर मोटी रकम वसूली जाती है। ऐसे लोगो को शक न हो इसलिये महिला सहकर्मियो से भी फोन कॉल कराये जाते है। ये लोग भारतीय रिजर्व बैंक तथा गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया से सम्बन्धित प्रपत्रो को गूगल से डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट कराकर रखा है, जब कुछ लोगो की पॉलिसी अथवा लोन के सम्बन्ध में मोटी रकम वसूल ली जाती है और उनके द्वारा पैसे वापस करने का दबाव बनाया जाता है तो इन लोगो के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया से सम्बन्धित उनके नाम का कूटरचित दस्तावेज उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिये से भेज दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति हम पर विश्वास कायम रखे। इन लोगो द्वारा सारा डाटा उत्तर प्रदेश से अन्यत्र राज्यो का एकत्र कर अपने सहकर्मियो को फोन करने के लिये देता है ताकि विभिन्न राज्यो के दूरस्थ रहने वाले व्यक्ति दूरी होने के कारण शिकायत न करे जोकि दूरी होने पर शिकायत दर्ज करने व पुलिस के आने मे समय लगता है तब तक नया ऑफिस बदल देते है, परन्तु उसके द्वारा नोएडा के एक व्यक्ति नरेश कुमार से भी काफी पैसा एक फर्जी अकाउन्ट में डलवाया गया है। इस फर्जी अकाउन्ट को इनके द्वारा बनवाया है जो पश्चिम बंगाल का है, जिसमें इनके द्वारा नरेश के साथ ठगी कर 01 करोड़ के आस- पास धनराशि हस्थान्तरित करायी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. गणेश ठाकुर पुत्र दिगम्बर ठाकुर निवासी ग्राम बिरौल, थाना बिरौल, जनपद दरभंगा, बिहार वर्तमान पता सेक्टर-19, थाना सेक्टर-20, नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 35 वर्ष, शिक्षा-बी0ए0।
2. प्रभाष झा पुत्र महेन्द्र झा निवासी ब्लाक बी थाना फरीदपुर, जनपद वर्दमान, पश्चिम बंगाल वर्तमान पता देविका गोल्ड होम्स सेक्टर-1, थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 32 वर्ष शिक्षा-बी0बी0ए0।
3. मनीष कुमार झा पुत्र भोगेन्द्र झा निवासी नूतन पल्ली दुर्गापुर थाना फरीदपुर, जनपद वर्दमान, पश्चिम बंगाल वर्तमान पता सेक्टर-19, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर शिक्षा-इण्टमीडिएट।
4. परवेज आलम पुत्र मोहम्मद जहीर निवासी जे0जे0 कैम्प शिव मंदिर गिरी नगर, कालकाजी, दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष शिक्षा-बी0ए0।
5. शुभम यादव पुत्र अतर सिंह यादव निवासी ग्राम खल्ला, थाना डैरापुर कानपुर देहात वर्तमान पता, ब्लाक जी-4, गली नं0-12, सोनिया विहार, थाना करावलनगर, दिल्ली उम्र 27 वर्ष शिक्षा-इण्टरमीडिएट।
6. ज्ञानेन्द्र पुत्र स्व0 ब्रिजेश कुमार गुप्ता निवासी मानस नगर, दुर्गाकुण्ड जिला वाराण्सी वर्तमान पता न्यू अशोक नगर, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली शिक्षा-बी0टेक।

7. शबनम पुत्री शकील अहमद निवासी ग्राम नंगला तुला, थाना एटा, देहात जनपद एटा वर्तमान पता ब्लाक सी, भजनपुरा खजूरी, थाना खजूरी, दिल्ली उम्र 25 वर्ष शिक्षा एम0ए0(इकोनोमिक्स)।
8. अराधना पुत्री रामशंकर निवासी ग्राम छितौनी, थाना सैफई, जिला ईटावा वर्तमान पता संगम विहार, थाना संगम विहार, दिल्ली उम्र 30 वर्ष शिक्षा-बी0ए0/बी0एंड।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 387/2024 धारा 316(4)/61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 13/2025 धारा 318(4), 338, 339, 340(2), 61(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 17 मोबाइल फोन
2. 01 कम्प्यूटर सीपीयू
3. 04 अभिलेखीय रजिस्टर
4. 21 एटीएम कार्ड
5. 05 वोटर आईडी कार्ड
6. 06 आधार कार्ड
7. 03 पेन कार्ड
8. 01 डी.एल
9. 01 जीएसटी सर्टिफिकेट
10. 01 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
11. 01 रेन्ट एग्रीमेन्ट
12. .कुल 2660/- रूपये नगद